न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
अपील संख्या : 14/2025
तारीख रजू : 20.01.2025 निर्णय दिनांक : 15.05.2026

उनवान

1. कौशल्या देवी पत्नी रतिराम
2. बिजेय पुत्र रतिराम,
3. रतिराम पुत्र सुरजमल
   समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी सुरज सेठ की तन बुचाहेडा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 782 वाके ग्राम मोरदा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 22.04.2014 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा अपीलान्ट की ओर से।

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 782 वाके ग्राम मोरदा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 22.04.2014 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के आदेश से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन कि आराजी हाल खसरा नम्बर 222/1.11 वाके मोजा मोरदा तहसील कोटपूतली के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार परसा पुत्र रूडा व 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार मातादीन पुत्र रूडा थे तथा उपरोक्त भूमि में से 0.1441 हैक्टेयर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु आवाप्त कर ली गयी तथा उसी अनुक्रम में जरिये नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 22.05.2014 राजस्व रिकार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकृत दिल्ली के नाम अंकन हो गया तथा शेष भूमि परसा, भातादीन पुत्रान रूडा के नाम राजस्व रिकार्ड में रही तथा परसा, मातादीन पुत्रान रूडा ने उपरोक्त भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 222/1.11 वाके मोजा मोरदा तहसील कोटपूतली की शेष बची भूमि 0.9659 हेक्टेयर का तकास्मा कर लिया बाद तकास्मा मातादीन पुत्र रूडा के आराजी हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5221 हैक्टेयर वाके मोजा मोरदा आया था तथा परसा पुत्र रूडा के आराजी हाल खसरा नम्बर 222/1 रकबा 0.4438 हेक्टेयर वाके मोजा मोरदा आया था जिसका नामान्तकरण जरिये नामान्तकरण संख्या 763 दिनांक 29.01.2014 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा मातादीन पुत्र रूडा ने आराजी हाल खसरा नम्बर 222/0.5221 हैक्टेयर वाके मोजा मोरदा की भूमि को जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र अपीलान्टगण को बेचान कर दिया एवं मुताबिक विक्रय पत्र नामान्तकरण संख्या 782 अपीलान्टगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 222/1.11 वाके मोजा मोरदा में नेशनल हाईवे में भूमि आवाप्त हो जाने के उपरान्त नामान्तकरण नेशनल हाईवे के दर्ज होने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 222 का रकबा कम अंकित नही किया अपितु उपरोक्त भूमि के 0.5221 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का नाम व शेष 0.0779 हैक्टेयर भूमि में विक्रेता मातादीन पुत्र रूडा का नाम दर्ज रख दिया तथा नामान्तकरण संख्या 633 वाके मोजा मोरदा जो नेशनल हाईवे के नाम दर्ज हुआ था का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाते समय आराजी हाल खसरा नम्बर 222 का रकबा 0.60 हैक्टेयर के बजाय 0.5221 हैक्टेयर कर दिया परन्तु नामान्तकरण संख्या 633 ग्राम मोरदा में मातादीन पुत्र रूडा के हिस्से में से कम हुयी भूमि 0.0779 हैक्टेयर को हाल खसरा नम्बर 222 का रकबा 0.5221 हेक्टेयर दर्ज किये जाते समय मातादीन पुत्र रूडा का नाम विलोपित किये जाने के

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

बजाय सम्पूर्ण खातेदार अपीलान्टगण व विक्रेता मातादीन पुत्र रूडा का नाम दर्ज रह गया जबकि मातादीन पुत्र रूडा जोकि उपरोक्त भूमि के मूल खातेदार थे के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.60 हैक्टेयर में से 0.0779 हैक्टेयर भूमि नेशनल हाईवे में आवाप्त किये जाने के उपरान्त शेष बची भूमि का बेचान अपीलान्टगण को किये जाने के उपरान्त मातादीन पुत्र रूडा का कोई हिस्सा भूमि में शेष नही रहता है परन्तु नामान्तकरण संख्या 782 ग्राम मोरदा दर्ज किये जाते समय आराजी हाल खसरा नम्बर 222 का रकबा 0. 5221 हेकटेयर के स्थान पर 0.60 हैक्टेयर दर्ज कर 0.0779 हैक्टेयर भूमि विक्रेता मातादीन पुत्र रूडा के नाम अंकित कर दी।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 782 ग्राम मोरदा में दुरूस्ती की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 0.60 हैक्टेयर के बजाय 0.5221 हैक्टेयर दुरूस्त कर मातादीन पुत्र रूडा का नाम विलोपित कर अपीलान्ट कौशल्या देवी पत्नि रतीराम हिस्सा 1741/5221, विजेय पुत्र रतिराम हिस्सा 1739/5221, रतिराम पुत्र सुरजमल हिस्सा 1741/5221 अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का गौर से अवलोकन करने से जाहिर होता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 222/1.11 वाके मोजा मोरदा में 0.0779 हैक्टेयर भूमि नेशनल हाईवे द्वारा आवाप्त होने व जरिये नामान्तकरण संख्या 633 ग्राम मोरदा 0.0779 हैक्टेयर का रकबा मातादीन पुत्र रूडा के हिस्से में से कम कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज होने के उपरान्त महज खसरा नम्बर 222 में 0.5221 हैक्टेयर रकबा शेष रहता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त नामान्तकरण दर्ज किये जाते समय खसरा नम्बर 222 का रकबा 0.5221 रकबा 0.60 हैक्टेयर दर्ज कर दिया एवं उपरोक्त नामान्तकरण में 779/6000 हिस्सा विक्रेता मातादीन पुत्र रूडा के नाम अंकित कर दिया जबकि नामान्तकरण संख्या 782 दर्ज किये जाते समय आराजी हाल खसरा नम्बर 222 का रकबा 0.5221 हैक्टेयर दर्ज करना चाहिये था भूमि में मुताबिक विकय पत्र अपीलान्ट कौशल्या देवी पत्नि रतीराम हिस्सा, विजेय पुत्र रतिराम हिस्सा, रतिराम पुत्र सुरजमल हिस्सा दर्ज करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर उपरोक्त नामान्तकरण में खसरा नम्बर 222 का गलत रकबा अंकित कर गलत रूप से मातादीन पुत्र रूडा का नाम अंकित किया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार वकील अपीलान्ट की बहस प्रकरण पर चस्पा होती है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य साबित होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 नामान्तकरण संख्या 782 वाके ग्राम मोरदा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 22.04.2014 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार कोटपूतली को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जॉच कर सभी पक्षकारान को सुनने उपरान्त नियमानुसार विधिसम्मत् पुनः नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़